

NIA मानव तस्करी सडिकेट की जाँच करेगी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण \(NIA\)](#) ने [मानव तस्करी](#) के एक गरिह की जाँच के तहत छह राज्यों में 22 स्थानों पर छापे मारे, जो युवाओं को [साइबर धोखाधड़ी](#) में शामिल कॉल सेंटरों में काम करने के लिये लुभाता है।

मुख्य बटि

- ये तलाशी बहार, उत्तर प्रदेश, दलिली और अन्य क्षेत्रों में की गई।
 - इसकी उत्पत्त बिहार के गोपालगंज में दर्ज एक पुलसि रपिर्त से हुई है, जिसमें एक संगठति सडिकेट शामिल है जो नौकरी दलाने के बहाने भारतीय युवाओं को वदिश में तस्करी के लिये ले जाता है।
- तस्करी के माध्यम द्वारा लाए गए लोगों को फरजी कॉल सेंटरों में काम करने के लिये मज़बूर कयिा जाता था। ये कॉल सेंटर साइबर धोखाधड़ी के काम में संलपित थे।
- मानव तस्करी:
 - यह लोगों के अवैध व्यापार और शोषण को संदर्भति करता है, आमतौर पर जबरन श्रम, यौन शोषण या अनैच्छिके दासता के प्रयोजनों के लिये।
 - इसमें शोषण के उद्देश्य से धमकी, बल, दबाव, अपहरण, धोखाधड़ी या छल के माध्यम से व्यक्तियों की भरती, परविहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति शामिल है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)

- परचिय:
 - NIA भारत की केंद्रीय आतंकवाद नरिधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावति करने वाले सभी अपराधों की जाँच करने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं:
 - वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
 - परमाणु एवं नाभिकीय सुवधियों के वरिद्ध।
 - हथियारों, नशीले पदार्थों और जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमा पार से घुसपैठ।
 - संयुक्त राष्ट्र, उसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को लागू करने के लिये बनाए गए वैधानिक कानूनों के तहत अपराध।
 - इसका गठन [राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण \(NIA\) अधिनियम, 2008](#) के तहत कयिा गया था।
 - एजेंसी को गृह मंत्रालय की लखिति घोषणा के तहत राज्यों से वशिष अनुमति के बनिा राज्यों में आतंकवाद से संबंधति अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।
- मुख्यालय: नई दलिली